प्रकरण संख्या 48/14 2014/00031 तारीख रजु–18.06.2014

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

पिन्टू पुत्र सामन्ता उम्र 32 साल जाति जाटव निवासी कैलादेवी तहसील व जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजी निर्णय दिनांक 09.12.2013 मुकदमा नं0 502/13 उनवानी सरकार बनाम पिन्टू जिसके न्यायालय तहसील करौली जरिये बेदखल व दुकान को ध्वस्त कर निलाम करने के आदेश दिये हैं।

निर्णय दिनांक–19.06.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों पर गौर किये बगैर सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने योग्य है। अपीलाण्ट ग्राम कैलादेवी में पुश्तैनी तौर पर रिहायश कर रहा है प्रार्थी अपीलाण्ट व उनके पूर्वज आराजी खसरा नं0 2861/1 में गत 40–45 साल से पुश्तैनी तौर पर रिहायश करते चले आ रहे हैं तथा उक्त रिहायश में ही प्रार्थी ने अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिये एक दुकान खोल रखी है जिससे अपने परिवार की गुजर बसर करता चला आ रहा है जिसका नक्शा अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें अपीलाण्ट व अपीलाण्ट का परिवार गत् 40–45 साल से पुश्तैनी पर करता चला आ रहा है। उक्त तथ्यों का विश्लेषण किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। इसलिये निर्णय जैर अपील निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है। गत् 40–45 साल से रिहायश करके बच्चों का पालन पोषण कर रहे है तथा बी.पी.एल. परिवार का सदस्य भी है तथा प्रार्थी को इन्दिरा आवास के तहत मिली राशि से प्रार्थी ने उक्त रिहायशी जमीन में निर्माण किया है और प्रार्थी का कब्जा नियमन होने योग्य है तथा नियमन कराने का अधिकारी है। इन सभी तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। इसलिये निर्णय जेर अपील निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट गत् 40–45 साल से रिहायश करते चले आ रहे है तथा राज0 सरकार ने अपने परिपत्र में सन 1994 से पूर्व के कब्जे को नियमन करने के निर्देश है तथा अब हाल में 2005 परिपत्र के माध्यम से 2005 तक के कब्जे को नियमन करने बावत निर्देश प्राप्त है। इसलिये अपीलाण्ट नियमन कराने के अधिकारी है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये बगैर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। इसलिये निर्णय जेर अपील निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 06.06.2014 को बेदखल करने की बताने पर उसी रोज अपीलाण्ट द्वारा नकल दर0 पेश कर दी तथा प्रार्थी का निर्णय की नकल दिनांक 09.06.2014 को प्राप्त हुई। प्रार्थी अपीलाण्ट के

जिला कलक्टर
करौली

निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है तथा निर्णय दिनांक 09.12.2013 से दिनांक 09.06.2014 तक के समय को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद पेश है तथा दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जा रहा है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट व उसके पूर्वज ग्राम कैलादेवी के आराजी खसरा नं. 2861/1 में गत 40–50 साल से पुश्तैनी तौर पर रहवास करते चले आ रहे हैं। रहवास में ही खोली हुई दुकान की आय से ही प्रार्थी अपने परिवार की गुजर–बसर करता है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य एव बी.पी.एल. है तथा इन्दिरा आवास योजना के तहत मिली राशि से उक्त परिसर में निर्माण कराया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवेचन व खण्डन नहीं करके तथ्यों की जांच किये बगैर मात्र प्रिण्टेड फॉर्म पर ही निर्णय पारित किया गया है। राज्य सरकार ने 1994 से पूर्व के कब्जों को नियमन करने के निर्देश जारी किये हुए हैं अब हाल में 2005 से पूर्व के समस्त कब्जों को नियमन करने के भी निर्देश हैं। 40–45 साल से काबिज अपीलाण्ट को उक्त भूखण्ड का नियमन होना चाहिये था। 91 एल.आर. एक्ट के साथ–साथ तहसीलदार को नियमन के भी अधिकार व कर्तव्य हैं। अपीलाण्ट नियमन कराने का अधिकारी है। इसलिये समस्त कागजातों सहित उक्त प्रकरण नियमन करने हेतु तहसीलदार करौली द्वारा उपजिला कलक्टर को भिजवाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में तहसीलदार को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया जा चुका है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा बिना किसी अधिकार के ग्राम कैलादेवी के आराजी खसरा नं. 2861/1 किस्म सिवायचक के 01 विस्वा भूमि पर दुकान का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है जिसके विरुद्ध नियमानुसार धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। नियमन एक अलग प्रक्रिया है। जब तक नियमन नहीं हो जाता तब तक सरकारी सिवायचक भूमि पर किया गया अतिक्रमण अवैध ही कहलाता है। इन्दिरा आवास योजना के तहत निर्माण भी स्वयं की भूमि पर ही किया जा सकता है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण नहीं किया जा सकता। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट ने ग्राम कैलादेवी के आराजी खसरा नं. 2861/1 किस्म सिवायचक के 01 विस्वा भूमि पर अवैध रूप से दुकान निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है जो अपीलाण्ट का भी स्वीकृत तथ्य है जिसके विरुद्ध रेस्पोण्डेण्ट द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई है। नियमन अलग प्रक्रिया है।

जिला कलक्टर
करौली

नियमन होने तक अतिक्रमण अवैध ही कहलाता है। हम रेस्पोण्डेण्ट के कथनों से सहमत हैं। अतः अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। रेस्पोण्डेण्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह सरकारी सिवायचक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली